संख्याः 685 /XII(1) /15-82(06)/2015 T.C-I

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायतीराज अनुभाग–1 **देहरादून, दिनांक :16 अप्रैल, 2015**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2015–16 में आयोजनागत पक्ष में धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्याः 400/XXVII(1)/2015, दिनॉक 01 अप्रैल, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंचायतीराज विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में आयोजनागत पक्ष में अनुदान संख्याः 19 के अंतर्गत रू॰ 50000 हजार (रू॰ पाँच करोड़ मात्र), अनुदान संख्याः 30 के अंतर्गत रू॰ 20000 हजार (रू॰ दो करोड़ मात्र) एवं अनुदान संख्याः 31 के अंतर्गत रू॰ 7000 हजार (रू॰ सत्तर लाख मात्र) इस प्रकार कुल रू॰ 77000 हजार (रू॰ सात करोड़ सत्तर लाख मात्र) की धनराशि संलग्न अलॉमेंट आई॰डी॰ के अनुसार अवमुक्त कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. उक्त धनराशि इस प्रतिबंध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि उक्त मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त–पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा।
2. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त–पुस्तिका की नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules, 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल) का अनुपालन किया जायेगा।

4. यह उल्लेखनीय है कि व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है, व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 400/XXVII(1)/2015, दि॰ 01.04.2015 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
5. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्याः 19, 30 एवं 31 के अंतर्गत संलग्न अलॉटमेंट आई॰डी॰ में वर्णित लेखाशीर्षकों के प्राथमिक ईकाईयों के नामे डाला जायेगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–400/XXVII(1)/2015, दिनॉक 01 अप्रैल, 2015 के क्रम में निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक :– अलॉटमेंट आई॰डी॰ सं0–S1504190193, S1504190194, S1504190195, S1504300196, S1504310197,

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्याः (1)/ XII(1) /15-82(06)/2015 T.C-I, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
~~3– वित्त नियंत्रक, सज्य निर्वाचन आयोग, उत्तसखण्ड, देहरादून।~~
4– वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
6– बजट एवं राजकोषीय संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद फोनिया)
सचिव।